कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर

पत्रांक 3032 /14-1 दिनॉक, कानपुर, मार्च 26 2018

सेवा में,

महा प्रबन्धक सह परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 47 एवं 48
ड्रीम सिटी कालोनी(बाल जीवन घुट्टी के सामने),
जी0टी0 रोड सारसौल अलीगढ

विषयः— राष्ट्रीय राजमार्ग सं0— 91 पर जनपद कानपुर के किमी0 356.000 से किमी0 414.000 तक मार्ग को फोर लेन बनाने हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या—8बी/यू0पी0/06/24/2018/एफ0सी0/199 दिनांक 23.03.2018।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी सहित आपको पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आपत्ति प्रेषित की गयी है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपत्तियों का निराकरण कर अतिशीघ्र संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करायें साथ ही अपने कार्यालय के किसी प्रतिनिधि को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय भेजकर प्रस्ताव की प्रतियां अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इस स्तर से भी वांछित कार्यवाही कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

(एस0एस0श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक 3032 /समदिनांकित

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त कम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर को उपरोक्त कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0एस0श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

dfokanpurnagar@gmail.com

March 2018/Rajat